

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर**

कमांक एफ 15 ( ) 2013/गोप्र/प्रमुवसं/4628/C

दिनांक 3 अक्टूबर, 2013

**कार्यालय आदेश**

राजस्थान वन अधिनस्थ सेवा नियम, 1963 के प्राधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंभानुसार निम्नांकित वनपालो को रिव्यू एण्ड रिविजन के आधार पर क्षेत्रीय द्वितीय के पद पर वेतनमान 9300-34800, पे ग्रेड-2, ग्रेड पे-11 (3200) में कार्यभार सम्भालने की तिथि से 6 माह तक अथवा विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा घयनित व्यक्ति उपलब्ध होने तक, उनके सामने अंकित विवरणानुसार पदस्थापन किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाते हैं:-

क. सं.	नाम वनपाल सर्व श्री	पिता का नाम सर्व श्री	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम	पदोन्नति पर नवीन पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	नारायण सिंह	जय सिंह	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर।	क्षेत्रीय वन अधिकारी पिंडवाडा, वन मण्डल सिरौही।
2	रमेश चन्द्र शर्मा	बाला सहाय	उप वन संरक्षक, दौसा।	क्षेत्रीय वन अधिकारी, करौली, वन मण्डल करौली।
3	रमेश चन्द्र सेन	सोहन लाल	उप वन संरक्षक, भरतपुर।	क्षेत्रीय वन अधिकारी, टेहला, वन मण्डल वन्यजीव, सरिस्का।
4	डा. राकेश कुमार शर्मा	मुकुन्द बिहारी	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।	कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, ट्री राजस्थान, जयपुर।
5	अशोक कुमार चतुर्वेदी	राम किशोर चतुर्वेदी	उप वन संरक्षक, अजमेर।	क्षेत्रीय वन अधिकारी, व्यावर, वन मण्डल, अजमेर।
6	लाल चन्द यादव	सुख राम	उप वन संरक्षक, परियाजनाएं, टोंक।	क्षेत्रीय वन अधिकारी, महुआ, वन मण्डल, दौसा।
7	बनवारी लाल गुप्ता	राधेश्याम	उप वन संरक्षक, जयपुर	क्षेत्रीय वन अधिकारी, सपोटरा, वन मण्डल, करौली।
8	घनश्याम सिंह	मेघ सिंह	उप वन संरक्षक, अलवर।	क्षेत्रीय वन अधिकारी, नदबई, वन मण्डल, भरतपुर।
9	महेश चन्द्र शर्मा	ओम प्रकाश	उप वन संरक्षक, भरतपुर।	क्षेत्रीय वन अधिकारी, उड़न दस्ता वन मण्डल, अलवर।

अस्थाई (ADHOC) आधार पर की गई पदोन्नति की शर्तें निम्नानुसार है:-

- उक्त पदोन्नति पूर्णतया आवश्यक-अस्थाई आधार पर अग्रिम आदेश होने तक, बिना किसी नियमित पदोन्नति का कोई अधिकार, प्रदत्त किये, दी जा रही है।
- जिस पद पर पदोन्नति दी जा रही है, के पद से कभी भी पदावनति की जा सकती है।
- आवश्यक-अस्थाई पदोन्नति से किसी भी प्रकार की वरिष्ठता का लाभ देय नहीं होगा।
- पदोन्नति से किसी भी उच्च पद पर नियमित पदोन्नति में पात्रता एवं वरिष्ठता सम्बन्धी लाभ भी देय नहीं होगा और वरिष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- आवश्यक-अस्थाई पदोन्नति नियमित पदोन्नति की मांग का आधार नहीं होगा और न ही नियमित पदोन्नति हेतु कोई अधिकार प्रदत्त होगा।
- आवश्यक-अस्थाई पदोन्नति केवल नियमित पदोन्नति से पदोन्नत राजसेवक उपलब्ध होने तक ही मान्य होगी, इसके उपरान्त इनका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।
- इन तदर्थ पदोन्नति से आरक्षण कोटा किसी भी तरह प्रभावित नहीं होगा। यदि उपरोक्त पदोन्नत वनपाल दिनांक 15.10.2013 तक क्षेत्रीय द्वितीय के पद पर हुए नवीन पदस्थापन कार्यालय में उपस्थिति नहीं देंगे तो उनके पदोन्नति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।

(यू.एम.सहाय)


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)  
राजस्थान, जयपुर।

*(Handwritten Signature)*

क्रमांक एफ 15 ( ) 2013/गोप्र/प्रमुवसं/4629-4669/ दिनांक 3 अक्टूबर 2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। उक्त पदोन्नत वनपाल वर्तमान में जिस कार्यालय में पदस्थापित है उनके नियंत्रण अधिकारी उन्हें दिनांक 15.10.2013 तक क्षेत्रीय वन अधिकारी, द्वितीय के पद पर पदोन्नति पर हुए नवीन पदस्थापन कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु भारमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा नवीन पदस्थापन स्थान से संबंधित कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय द्वितीय के पद पर दी गई उपस्थिति तिथि से इस कार्यालय को अवगत करावें। यदि कोई वनपाल पदोन्नति पर उपस्थिति देने का इच्छुक नहीं हो तो उनसे इस आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को अविलम्ब भिजवायें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके :-

- 1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर/टी.आर.ई.ई. राज0 जयपुर।
- 2- अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
- 3- मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर/आर.वी.पी.कोटा/ भरतपुर/वन्यजीव भरतपुर/भू-संरक्षण, जयपुर/बनास जयपुर/जोधपुर/ वन्यजीव, उदयपुर।
- 4- मुख्य वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पदोन्नति आदेश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
- 5- वन संरक्षक, एवं क्षेत्र निदेशक बाघ परि. सरिस्का मुख्यालय, अलवर।
- 6- उप वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर/भरतपुर/दौसा//परियोजनाएं टॉक/जयपुर/ दौसा/ अलवर/सिरोही/ करोली/ बाघ परि. सरिस्का/अजमेर।
- 7- उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर।
- 8- अध्यक्ष, राजस्थान वन अधीनस्थ कर्मचारी संघ, जयपुर।
- 9- श्री ..... द्वारा उप वन संरक्षक.....।
- 10- रक्षी पत्रावली।

  
(यू.एम.सहाय)  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)  
राजस्थान, जयपुर।